



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 जनवरी, 1979

माघ 2, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 253/सत्रह-वि०-124-1977

लखनऊ, 22 जनवरी, 1979

### अधिसूचना

#### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 पर दिनांक 12 जनवरी, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1979)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के उत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ



(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

#### परिभाषाएँ

#### 2—इस अधिनियम में—

(क) “नियत दिनांक” का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है;

(ख) “शिक्षा अधिकारी” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन नियुक्त जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी और किसी बालिका संस्था की स्थिति में जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) से है, और प्रत्येक स्थिति में इसमें इस अधिनियम के अधीन शिक्षा अधिकारी के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ग) किसी संस्था के “कर्मचारी” का तात्पर्य किसी शिक्षणोत्तर कर्मचारी से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता है;

(घ) “निरीक्षक” का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षक से है, और प्रत्येक स्थिति में इसमें इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ङ) “संस्था” का तात्पर्य ऐसे मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है;

(च) “अनुरक्षण अनुदान” का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के लिए समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे;

(छ) किसी संस्था के सम्बन्ध में, “प्रबन्धतन्त्र” का तात्पर्य उस संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए प्रभारित प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन निहित हो;

(ज) किसी संस्था के “अध्यापक” का तात्पर्य प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता है;

(झ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के “वेतन” का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दर पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिसमें महंगाई भत्ता और कोई अन्य भत्ता भी सम्मिलित है;

(ञ) अन्य शब्दों और पदों के, जो उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में परिभाषित हैं और यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

समय के भीतर  
और अप्राधिकृत  
कटौतियाँ किये  
बिना वेतन का  
भुगतान

3—(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी नियत दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का वेतन उस मास के जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, ठीक पश्चात्वर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व के ऐसे दिन की जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायगा।

(2) वेतन का भुगतान उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी प्रकार की कटौतियों सिवाय उनके जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों किये बिना, किया जायगा।

(3) जहां किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान, प्रबन्धतन्त्र की ओर से किसी चूक के कारण उपधारा (1) के अनुसार नहीं किया जाता है, वहां निरीक्षक, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर ऐसे वेतन का भुगतान, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम आहरित वेतन की दर पर, और नई नियुक्ति की स्थिति में उस वेतन-मान की जिस पर वह नियुक्त किया गया हो, न्यूनतम दर पर, धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखे में जमा धन से करेगा या करायेगा और ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में कोई समायोजन, तत्पश्चात् यथाशीघ्र किया जायगा।

निरीक्षण करने  
की शक्ति

4—(1) शिक्षा अधिकारी, किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसमें रजिस्टर, लेखा वही और वाउचर



भी सम्मिलित हैं) मांग सकता है या उसके प्रवन्धतन्त्र को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसमें अनुवश्यक व्यय को रोकने के लिए किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने का कोई निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(2) जहां किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया जाय, वहां उसका अनुपालन यथासम्भव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायगा।

5—(1) प्रत्येक संस्था का प्रवन्धतन्त्र अपने अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक में एक पृथक् लेखा खोलेगा जो प्रवन्ध तन्त्र के किसी प्रतिनिधि और शिक्षा अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे शिक्षा अधिकारी इस निमित्त प्राधिकृत करे, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायगा :

कतिपय संस्थाओं की स्थिति में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया

परन्तु लेखा खुल जाने के पश्चात् शिक्षा अधिकारी, यदि उसका इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे का परिचालन केवल प्रवन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है :

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट स्थिति में या जहां वेतन के वितरण में प्रवन्धतन्त्र की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो वहां शिक्षा अधिकारी बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे का परिचालन केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, किया जायगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है।

(2) प्रवन्धतन्त्र उक्त लेखे में ऐसे दिन तक जिससे शिक्षा अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त ऐसी धनराशि का जो राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार और जब तक ऐसा आदेश नहीं होता तब तक निरीक्षक के निदेश के अनुसार अनुरक्षण निधि का भाग होती है, पचासी प्रतिशत या जहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी वितरण किए जाने के लिये अपेक्षित धनराशि को ध्यान में रखते हुए किसी उच्चतर प्रतिशत का निदेश दे, वहां ऐसा उच्चतर प्रतिशत जैसा वह निदेश दे, जमा करेगा :

परन्तु जहां फीस का उक्त प्रतिशत उपर्युक्त प्रकार से जमा न किया जाय, वहां शिक्षा अधिकारी आदेश द्वारा प्रवन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है और तदुपरान्त शिक्षा अधिकारी फीस को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जैसी वह उचित समझे) सीधी रूप से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को उक्त लेखे में जमा करेगा।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता और अन्य तत्सदृश रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान की पचासी प्रतिशत या ऐसी उच्चतर प्रतिशत जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, धनराशि का भी राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखे में भुगतान किया जायगा।

(4) उक्त लेखा में जमा किये गये धन का प्रयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायगा, अर्थात्:—

(क) नियत दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिए देय होने वाले वेतन का भुगतान;

(ख) अध्यापकों और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में संस्था का अंशदान यदि कोई हो, जमा करना और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के उस अवधि के, जिसके लिये छात्रों से फीस वसूल की जा चुकी हो, वेतन के भुगतान सम्बन्धी दायित्व को पूरा करने के पश्चात् लेखे में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो उनके एक मास के वेतन के कुल योग से अधिक हो, प्रवन्धतन्त्र को संस्था पर व्यय करने के लिए दे दिया जायगा;

(ग) संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जैसा राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय।

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखा से उसी बैंक में उसके लेखा में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो तो चेक द्वारा किया जायगा।

(6) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक न हो, वहां इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कार के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और उस स्थिति में इस धारा में बैंक के लिए निर्देश किसी डाकघर वचत बैंक के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।

(7) प्रवन्धतन्त्र निदेशक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक विवरणी आगामी 30 जून तक ऐसे निदर्श में जैसा निदेशक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।



**उपबन्धों और  
निर्देशों का प्रवर्तन**

6—(1) जहाँ शिक्षा अधिकारी का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आशय पर या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि प्रबन्धतन्त्र ने धारा 4 के अधीन दिये गये किसी निर्देश का या धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक की है, वहाँ वह निरीक्षक के माध्यम से सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक प्रबन्धतन्त्र से उक्त निर्देश या उपबन्ध का अनुपालन करने को या एक सप्ताह के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि क्यों न प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण कर दिया जाय।

(3) जहाँ प्रबन्धतन्त्र उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये, या सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, वहाँ वह आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र का एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिये संस्था का प्रबन्ध अथवा अधिकार में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है :

परन्तु सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे—

(एक) समय-समय पर उक्त अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक न हो, या

(दो) किसी भी समय उक्त आदेश को विरुद्धित कर सकता है :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (दो) में किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के सम्बन्ध में कोई रुकावट न होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धतन्त्र को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, प्रबन्धतन्त्र को सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जिसमें संस्था को या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी सम्मिलित है, और विशेष रूप से, धारा 5 में विनिर्दिष्ट बैंक लेखों का परिचालन अनेक करेगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इसे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (सामान्य प्रबन्ध क्रम में मास प्रति मास किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) भारित करने की शक्ति प्राप्त होती है।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निर्देश, संस्था के प्रबन्ध और नियन्त्रण से सम्बन्धित या संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिता या लिखत में दी गई उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

**अपील**

7—धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धतन्त्र आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर निदेशक को की जा सकती है, और या तो निदेशक स्वयं या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से निदेशक द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, ऐसी अप्रतिर जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, या तो आदेश को अपास्त कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का प्रवर्तन ऐसे निबन्धनों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

**अभिनेत्र मांगने  
की राज्य सरकार  
की शक्ति**

8—राज्य सरकार धारा 7 के अधीन निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और वह उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु किसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि प्रबन्धतन्त्र को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

**पदों का अनुमोदन**

9—(1) कोई संस्था अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नये पद का सृजन, निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे निदेशक द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो, पूर्वानुमोदन के बिना नहीं करेगी।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्वानुमोदन से कोई नया पद सृजित किया जाय, और तीन मास के भीतर ऐसे पद पर नियुक्ति न की जाय तो यह समझा जायगा कि अनुमोदन वापस ले लिया गया है।



10—(1) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो नियत दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो।

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

(2) राज्य सरकार किसी ऐसी धनराशि को जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व उत्पन्न हो, उस संस्था को या उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्की द्वारा वसूल कर सकता है मानो वह धनराशि संस्था द्वारा देय भू-राजस्व की कोई वकाया हो।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किसी ऐसे देय के लिए संस्था के दायित्व का अन्तीकरण नहीं समझा जायगा।

11—(1) यदि धारा 4 के अधीन किसी निदेश का या धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो चूक किये जाने के समय प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य-संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न सिद्ध कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी या उसने ऐसी चूक को रोकने के लिए सभी सम्यक् सावधानी बरती थी, धारा 3 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की स्थिति में, जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और किसी अन्य चूक की स्थिति में कारावास से जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

दण्ड, शास्ति और प्रक्रिया

(2) कोई न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक की पूर्ण स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा और न वारंट के बिना उसके लिए गिरफ्तारी करेगा।

(4) कोई न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

12—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

न्यायालय की अधिकारिता पर रोक

13—इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा परिषद्, रेलवे प्रशासन, छावनी बोर्ड या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वाभिमत्य या नियंत्रणाधीन किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा अनुसूचित संस्थाओं पर लागू न होगी।

कतिपय संस्थाओं के सम्बन्ध में छूट

14—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षा अधिकारी, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वार्द, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिए संरक्षण

15—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध, जिसमें इस अधिनियम के या उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 या इनके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी सम्मिलित है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नियत दिनांक से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

16—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति का प्रत्यायोजन निदेशक को कर सकती है।

प्रत्यायोजन

17—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

आज्ञा से,  
रमेश चन्द्र देव शर्मा,  
सचिव।



No. 253/XVII-V-1-124-77

Dated Lucknow, January 22, 1979

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Junior High School (Adhyapakon Aur Anya Karmcharion Ke Vetan Ka Bhugtan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 12, 1979 :

THE UTTAR PRADESH JUNIOR HIGH SCHOOL (PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES) ACT, 1978

(U. P. Act No. 6 of 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to regulate the payment of salaries to teachers and other employees of Junior High Schools receiving aid out of the State funds and to provide for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :

Short title,  
extent and  
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Junior High Schools (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1978.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf.

Definitions.

2. In this Act—

(a) "appointed day" means the date notified under sub-section (3) of section 1;

(b) "Education Officer" means the District Basic Education Officer appointed under the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 and in relation to a girls' institution, the District Basic Education Officer (Women), and in each case includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Education Officer under this Act;

(c) "employee" of an institution means a non-teaching employee in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the institution;

(d) "Inspector" means the District Inspector of Schools and in relation to a girls' institution the District Inspector of Girls' Schools, and in each case includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Inspector under this Act;

(e) "institution" means a recognised Junior High School for the time being receiving maintenance grant from the State Government;

(f) "maintenance grant" means such grant-in-aid of an institution as the State Government, by general or special order in that behalf, directs to be treated as maintenance grant appropriate to the level of the institution;

(g) "management" in relation to any institution, means the managing committee or other body charged with managing the affairs of that institution and includes the manager or other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the institution;



(h) "teacher" of an institution means a headmaster or other teacher in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the institution ; -

(i) "salary" of a teacher or employee means the aggregate of the emoluments, including dearness or any other allowance, for the time being payable to him at the rate approved for the purpose of payment of maintenance grant ;

(j) other words and expressions defined in the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 and not herein defined shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. (1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of an institution in respect of any period after the appointed day, shall be paid to him before the expiry of the twentieth day, or such earlier day as the State Government may, by general or special order in that behalf, appoint, of the month next following the month in respect of which or any part of which, it is payable.

Payment of salary within time and without unauthorized deductions.

(2) The salary shall, subject to the provisions of sub-section (3), be paid without deductions of any kind except those authorised by the rules made under this Act or by any other law for the time being in force.

(3) Where the salary of a teacher or other employee of an institution is not paid in accordance with sub-section (1) due to any default on the part of the management, the Inspector may, without prejudice to any other provisions of this Act, pay or cause to be paid within ten days from the date mentioned in that sub-section such salary from the moneys credited to the account mentioned in sub-section (1) of section 5 at the rate of salary last drawn by such teacher or employee, as the case may be, and in case of fresh appointment at the rate of minimum of the pay scale in which he has been appointed, and any adjustment in respect of such payment shall, thereafter, be made as soon as possible.

4. (1) The Education Officer, may, at any time, for the purpose of this Act, inspect or cause to be inspected any institution or call for such information and records (including registers, books of accounts and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give its management any direction for the observance of such canons of financial propriety (including any direction for retrenchment of any teacher or employee for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit.

Power to inspect.

(2) Where a direction under sub-section (1), is given for retrenchment of any teacher or employee, it shall be complied with, as far as possible in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 and the rules made thereunder, or as the case may be, the conditions of service of such teacher or employee.

5. (1) The management of every institution shall for the purposes of disbursement of salaries to its teachers and employees open in a Scheduled bank or a Co-operative bank, a separate account to be operated jointly by a representative of the management and by the Education Officer or such other officer as may be authorised by the Education Officer in that behalf :

Procedure for payment of salary in the case of certain institutions.

Provided that after the account is opened, the Education Officer may, if he is, subject to any rule made under this Act, satisfied that it is expedient in public interest so to do, instruct the Bank that the account shall be operated by the representative of the management alone, and may at any time revoke such instruction :

Provided further that in the case referred to in the proviso to sub-section (2), or where a difficulty arises in the disbursement of salaries due to any default of the management, the Education Officer may instruct the Bank that the account shall be operated only by himself or by such other officer as may be authorised by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

(2) The management shall deposit in this said account by such date as may be specified by general or special orders by the Education Officer, eighty per cent, or where the State Government or an officer authorised by the State Government having regard to the money required to be disbursed, directs a higher percentage, then such higher percentage as it or he may direct, of the amount received from the students as fees which in accordance with the



general or special orders of the State Government in that behalf and for so long as such orders are not made in accordance with the directions of the Inspector, from part of the maintenance fund:

Provided that where the said percentage of fees is now deposited as aforesaid, the Education Officer may, by order, prohibit the management from making any realisation of fees from the students and thereupon, the Education Officer may recover the fees (either through the teachers of the institution or in such other manner as he thinks fit), directly from the students and shall deposit the fees so recovered in the said account.

(3) The entire amount of the maintenance grant and the amount of eighty five per cent, or such higher percentage, as the State Government or an officer authorised by the State Government may, by general or special order in that behalf determine, of the grants for reimbursement of freeships and other similar concessions shall also be paid by the State Government into the said account.

(4) No moneys credited to the said account shall be applied to any purpose except the following, namely—

(a) payment of the salaries falling due for any period after the appointed day ;

(b) credit of institutions' contribution, if any, to the provident fund accounts of the teachers and employees, and such portion of the balance in the account at the end of the month of July each year as exceeds the aggregate of one month's salary of the teachers and employees of the institution after meeting the liability for payment of their salaries for the period for which fees have been realized from the students shall be made over to the management for expenditure on the institution ;

(c) such other expenditure for the purposes of the institution as may be directed by the State Government or by an officer authorised by the State Government in that behalf.

(5) The salary of a teacher or employee shall be paid by transfer of the amount from the said account to his account, if any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

(6) In respect of a place where there is no Scheduled bank or a Co-operative bank, the provision of this section shall apply with such modification as the State Government may by notification specify and the references in this section to bank shall in that case be construed as references to a post office savings bank.

(7) The management shall submit to the Director a return in respect of each financial year by the 30th June next following in the *pro forma* as may be specified by general or special order by the Director.

Enforcement of provision and directions.

6. (1) Where on the basis of an inspection of an institution or its records or otherwise, the Education Officer is satisfied that the management has committed default in complying with any direction given under section 4 or with the provisions of section 3 or section 5, he may through the Inspector, recommend to the Regional Deputy Director, Education, that action be taken against the institution under sub-section (2).

(2) On receipt of a recommendation under sub-section (1), the Regional Deputy Director, Education, may call upon the management to comply with the said direction or provision or to show cause within a week why the management should not be superseded.

(3) Where the management fails to comply as aforesaid or to show cause, or the Regional Deputy Director, Education, considers the cause shown to be insufficient he may by order supersede the management, for such period not exceeding one year as may be specified in the order, and authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of the institution for the said period :

Provided that the Regional Deputy Director, Education, may where he considers it necessary or expedient so to do—

(i) extend the said period from time to time, so however, that the period so extended does not exceed five years in the aggregate ; or

(ii) revoke the order at any time ;

Provided further that nothing in clause (ii) of the preceding proviso shall



(4) On an order being made under sub-section (3), the Authorised Controller shall, to the exclusion of the management and subject only to the directions, if any, of the Regional Deputy Director, Education, the Director of the State Government, exercise all the powers and perform all the functions of the management, including management of the property belonging to or vested in the institution and in particular operate singly the bank account referred to in section 5:

Provided that nothing in the section shall be considered to confer on the Authorised Controller the power to transfer any such property (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of any grant in aid of the institution from the State Government).

(5) Any order made or direction given under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution or relating to the property belonging to or vested in the institution.

7. An appeal against the order of the Regional Deputy Director, Education, superseding the management under sub-section (3) of section 6 may be preferred to the Director within one month from the date on which the order is communicated to the management, and the Director, either himself or any other officer appointed by him by general or special order, in that behalf, may after such further inquiry, if any, as he considers necessary, either set aside or confirm or modify it, and pending the disposal of appeal, may stay the operation of the order on such terms, if any, as he thinks fit. Appeal.

8. The State Government may call for and examine the record of any appeal decided by the Director under section 7 for the purpose of satisfying itself as to the correctness or propriety of any order passed by him, and it may pass such order thereon as it thinks fit: Power of the State Government to call for records.

Provided that no order superseding the management of the institution or extending the period of supersession thereof shall be passed under this section unless an opportunity has been given to the management to show cause against the proposed order.

9. (1) No institution shall create a new post of teacher or other employee, except with the previous approval of the Director or such other officer, as may be empowered by a general or special order in that behalf by the Director. Approval for posts.

(2) If any new post is created with the previous approval referred to in sub-section (1), and no appointment is made to such post, within three months, the approval shall be deemed to have been withdrawn.

10. (1) The State Government shall be liable for payment of salaries of teachers and employees of every institution due in respect of any period after the appointed day. Liability in respect of salary.

(2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability is incurred by it under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the institution as if that amount were an arrear of land revenue due from the institution.

(3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the institution for any such dues to the teacher or employee.

11. (1) If any default is committed in complying with any direction under section 4 or with the provisions of section 3 or section 5, every person who at the time the default was committed was manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the institution shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable, in the case, of a default in complying with the provisions of section 3 with fine which may extend to one thousand rupees and in the case of any other default, with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both. Punishment, penalties and procedure.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Regional Deputy Director.



(3) Every offence under this section shall be cognizable but no police officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefor without a warrant.

(4) No court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.

Bar of jurisdiction of court.

12. No order made or direction given by the State Government, the Director, the Regional Deputy Director or the Education Officer or other officer in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

Exemption in relation to certain institutions.

13. Nothing in this Act shall apply to institutions maintained by the Uttar Pradesh Board of Basic Education, Railway Administration, Cantonment Board or any other industrial undertaking owned or controlled by the Central Government or the State Government.

Protection of acts in good faith.

14. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be against the State Government, the Director, the Regional Deputy Director, Education, the Education Officer, the Authorised Controller or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given thereunder.

Power to remove difficulties.

15. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reason of anything contained in this Act, the State Government may, as occasion requires, by notification, make such incidental or consequential provisions including provisions for adapting or modifying any provision of this Act or of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, or the rules made thereunder, but not affecting the substance, as it may think necessary or expedient for the purposes of this Act.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the appointed day.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature.

\* Delegation.

16. The State Government may, by notification, delegate all or any of its powers under this Act to the Director.

Power to make rules.

17. The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

By order,  
R. C. DEO SHARMA,  
Sachiv.